भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *355

दिनांक 10 अगस्त, 2018 को उत्तर के लिए

गैर-कानूनी रूप से गोद लिया जाना

*355. श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

श्री आनंदराव अडसुलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ संस्थाएं और संगठन किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के क्षेत्राधिकार से बाहर गैर-कानूनी रूप से गोद लिये जाने का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं/में सहायता कर रहे हैं, जो कि बच्चों के अवैध व्यापार का द्योतक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समूचे देश में गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त संस्थानों/संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या मातृत्व अस्पताल तथा अन्य सुविधाएं गैर-कानूनी रूप से गोद लिये जाने तथा बच्चों के अवैध व्यापार के संभावित स्थल हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने बाल परिचर्या संस्थाओं (सीसीआई) को पंजीकृत करने तथा उन्हें सेन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स अथारिटी (सीएआरए) के साथ जोड़ने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी अनुपालन की क्या स्थिति है;

(घ) क्या मंत्रालय ने मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी (एमओसी) द्वारा चलाए जा रहे सभी गृहों का निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी करने के लिये राज्यों से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एकल माता या पिता द्वारा गोद लिये जाने की अनुमति न देने वाली एमओसीज़ पर कोई विवाद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं जो संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करती हैं तथा सीसीआईज़ के त्वरित पंजीकरण तथा समुचित निगरानी हेतु उन्हें सीएआरए से जोड़े जाने हेतु और क्या उपाय किये गए हैं?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

'गैर-कानूनी रूप से गोद लिया जाना' विषय पर श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव और श्री आनंदराव अडसुल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है । सरकार अवैध दत्तक ग्रहण को रोकने के लिए प्रिंट मीडिया, रेडियो जिंगल्स और दूरदर्शन में विज्ञापनों के ज़रिए जागरुकता फैला रही है । इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होर्डिंग और पोस्टर लगाकर अवैध दत्तक ग्रहण को हतोत्साहित कर रहे हैं । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 80 और 81 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना दत्तक ग्रहण तथा किसी भी प्रयोजन के लिए बच्चों की बिक्री तथा अधिप्राप्ति के लिए दंडात्मक उपाय निर्धारित हैं । दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 का अनुपालन न करते हुए पाए गए विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देते हुए चेतावनी/कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 65(4) के प्रावधान के अनुसार उन पर जुर्माना किया जाता है/उन्हें निलंबित किया जाता है ।

(ख) : इस आशंका के चलते कि कुछ प्रसूति/नर्सिंग होम पर नवजात शिशुओं को सीधे दत्तकग्रहण के इच्छुक परिवारों को दे सकते हैं, सरकार ने 08 सितम्बर, 2015 के पत्र (अनुलग्नक-II) के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश/परामर्शी जारी की थी । 15 जनवरी, 2015 को कारा द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराया गया । विज्ञापन की प्रति अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है ।

(ग) : जेजे अधिनियम की धारा 65 और 66 के साथ पठित धारा 41 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 58 के अनुसार सभी बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण कराना और विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों से साथ उन्हें जोड़ना अनिवार्य है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 2007 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 102 में अपने 05 मई, 2017 के निर्णय में इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं । माननीय मंत्री द्वारा 29 सितम्बर, 2017 को सभी मुख्य मंत्रियों को इस आशय का पत्र (अनुलग्नक-**IV**) भी लिखा गया है । इसके अतिरिक्त, 24 अक्तूबर, 2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में भी सभी राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश दिया गया है । सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 25 जनवरी, 2018 को परिचालित चर्चा का रिकार्ड अनुलग्नक-**V** के रूप में संलग्न है । झारखंड राज्य में 'मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी' द्वारा बच्चों की बिक्री की घटना के आलोक में सचिव (म.बा.वि.) द्वारा 20 जुलाई, 2018 के पत्र के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि बाल देखरेख संस्थाओं को एक माह के भीतर निकटवर्ती राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरणों के साथ जोड़ा जाए और यह सुनिश्चित

किया जाए कि सभी बच्चे केयरिंग्स में परिलक्षित हैं । इसके अतिरिक्त, त्वरित निष्पादन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित समयावधि के भीतर संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस निर्देश को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए । ऐसा करने में विफल रहने पर अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाए । 20.07.2018 के पत्र की प्रति अनुलग्नक-**VI** के रूप में संलग्न है ।

(घ) : जी, हां । किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के निष्पादन का मूल दायित्व राज्य सरकारों का है, जिनसे जेजे अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है ।

(ड.) : मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी ने कारा को संबोधित अपने 31 अगस्त, 2015 के पत्र के द्वारा कहा था कि उन्होंने पूरे भारत में अपने 18 दत्तक ग्रहण केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि ये केंद्र उस समय अधिसूचित "बच्चों के दत्तक ग्रहण के संबंध में दिशानिर्देश" का पालन करने में असमर्थ रहे हैं । मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी का 31 अगस्त, 2015 का पत्र अनुलग्नक-**VII** के रूप में संलग्न है ।

*****

अनुलग्नक-।

गैर-कानूनी रूप से गोद लिया जाना विषय पर श्री आधलराव पाटील, शिवाजीराव एवं श्री आनंदराव अडसुल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

रिपोर्ट किए गए गैर-कानूनी दत्तकग्रहण मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	एजेंसी/पीएपी/अन्य का नाम	टिप्पणी
1	श्री रमेश कुमार और श्रीमती दीपा अग्रवाल का व्यक्तिगत मामला	अन्वेषण के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (सारा), पश्चिम बंगाल को पत्र भेजा गया। राज्य सरकार से अभी तक की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
2	कर्नाटक सरकार	कर्नाटक के मैसूर जिले में नसीमा नर्सिंग होम से तथाकथित रूप से बच्चों के अवैध मानव व्यापार और बच्चों को बेचे जाने का मामले
3	जोका मिल्लेनियम ओल्ड ऐज होम, 24 नार्थ परगना, पश्चिम बंगाल	गैर-कानूनी दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने में लिप्त पाए जाने के पर एजेंसी को बंद कर दिया गया।
4	उत्तरी बंगाल मानव विकास केंद्र, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	गैर कानूनी दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने में लिप्त पाए जाने पर एजेंसी को राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया।
5	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	शिशुओं को बेचने का अवैध धंधा
6	मारवाड़ी चेरिटेबल ट्रस्ट, जलगांव, महाराष्ट्र	गैर-कानूनी दत्तकग्रहण। कारा के निर्देश पर एजेंसी को बंद कर दिया गया है।
7	पल्लिश्री महिला समिति, केंद्रपाड़ा, ओड़िशा	कारा ने ओड़िशा सरकार के प्रमुख सचिव को मामले की जांच करने हेतु पत्र लिखा। की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
8	महिला जन शिशु कल्याण केंद्र, बोकारो, झारखंड	झारखंड राज्य सरकार ने संस्थान द्वारा तथाकथित तौर पर गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण किए जाने के कारण एजेंसी को बंद कर दिया।

अनुलग्नक II

अर्धशासकी पत्र संख्या 34-1/2005-कारा

दिनांक : 8 सितम्बर, 2015

प्रिय श्री कुमार,

जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है। यह भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है तथा इसे देश में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तकग्रहण की निगरानी करने और विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में 17.07.2015 को "बच्चों के दत्तकग्रहण को अभिशासित करने वाले दिशा-निर्देश 2015" अधिसूचित किया है। दिशा-निर्देश राज्यों में दत्तकग्रहण कार्यक्रम की निगरानी करने और सरल बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों के लिए आवश्यकता पर जोर देते हैं। तथापि अस्पतालों, नर्सिंग होम, जच्चा गृहों, फरटीलिटी क्लिनीक से अनौपचारिक एवं गैर कानूनी दत्तकग्रहण कानूनी दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के रास्ते में प्रमुख सरोकार है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका में से एक विभिन्न हितधारकों अर्थात बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण यूनिट तथा विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी को शामिल करके ऐसे बच्चों के कानूनी दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना है।

3. आपका ध्यान लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ के मामले में सीआरएमपी 3141/86 में आदेश दिनांक 03.12.1986 के माध्यम से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है जो इस प्रकार है :

"सभी नर्सिंग होम तथा अस्पताल जिनकी जानकारी में परित्यक्त या निराश्रित बच्चे आते हैं अथवा अपने परिसरों में या अन्यथा ऐसे परित्यक्त बच्चों को पाते हैं, संबंधित सरकार के समाज कल्याण विभाग को ऐसे बच्चे के मिलने के संबंध में तुरंत सूचना देंगे, जहां ऐसे नर्सिंग होम या अस्पताल राज्य की राजधानी में स्थित हैं और अन्य मामलों में वे ऐसी सूचना जिला कलेक्टर को देंगे तथा उसकी प्रति धात्री देखरेख गृह को भी भेजी जाएगी जहां सरकार द्वारा संचालित ऐसा गृह है तथा शहर या कस्बा में काम करने वाली मान्यता प्राप्त नियोजन एजेंसियों को भी सूचना दी जाएगी जहां ऐसे नर्सिंग होम या अस्पताल स्थित हैं।"

4. किशोर न्याय अधिनियम 2000 तथा दत्तकग्रहण दिशा-निर्देश 2015 के अनुसार सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है तथा ऐसी प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। नए दिशा-निर्देश 2015 इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य सरकार को दत्तकग्रहण के गैर कानूनी कार्य में शामिल नर्सिंग होम/अस्पताल सहित व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए (पैरा 34 (2)(ओ))।

5. इसके अलावा बचपन बचाओ आंदोलन (सीविल रिट याचिका सं. 2012 का 75 दिनांक 10.05.2013) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि बच्चों को आश्रय देने के प्रयोजनार्थ संचालित कोई निजी गृह बच्चे को ग्रहण करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि बाल कल्याण समिति द्वारा अग्रेषित नहीं किया जाता है और जब तक कि वे पंजीकरण सहित किशोर न्याय अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं।

6. संवैधानिक प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में मेरा आपसे आग्रह है कि सभी अस्पतालों/नर्सिंग होम/ जच्चा गृहों/फरटीलिटी क्लिनीक जो अपने आसपास या परित्यक्त बच्चों की जानकारी में आते हैं, को निदेश जारी करें कि वे तत्काल संबंधित प्राधिकारियों को जैसे कि स्थानीय पुलिस/बाल कल्याण समिति/चाइल्ड लाइन/नजदीकी विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी या जिला बाल संरक्षण यूनिटों को सूचना प्रदान करें। उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सादर

भवदीय

(वी. सोमासुंदरन)

श्री विजय कुमार देव
सलाहकार, प्रशासक
चंडीगढ़ सरकार
चंडीगढ़- 160001

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 355 के उत्तर में संदर्भित विवरण   अनुलग्नक - III

सार्वजनिक सूचना

अस्पतालों/नर्सिंग होम्स/प्रसूति गृहों आदि

[illegible]

- माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय का लक्ष्मी कांत पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा अन्य (Crl.Misc. Petition No. 3142/1986) के मामले में निर्देश दिनांक 03.12.1986
- माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय का बचपन बचाओ आंदोलन [रिट याचिका (सिविल) नं. 75 ऑफ 2012] के मामले में निर्देश दिनांक 10.05.2013 कि कोई निजी गृह (प्राइवेट होम), जो कि बच्चों को आश्रय देने के उद्देश्य के लिए संचालित किया जा रहा है, किसी बच्चे को स्वीकार करने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि इसे बाल कल्याण समिति द्वारा न भेजा गया हो तथा जब तक कि ये पंजीकरण सहित किशोर न्याय अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हों।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 32 एवं 34 (3)
- "बच्चों के दत्तकग्रहण को अधिशासित करने वाले दिशा-निर्देश-2011" का पैरा 10

[illegible]

- स्थानीय पुलिस स्टेशन (100) या
- चाइल्ड लाइन (1098) या
- स्थानीय बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) या
- नजदीकी विशेषज्ञ दत्तकग्रहण एजेंसी (एसएए) या
- जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू);

[illegible]

अधिक जानकारी के लिए, जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) से सीधे सम्पर्क किया जा सकता है।

आप सीएआरए से टोल फ्री नं.: 1800-11-1311 पर प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच सम्पर्क कर सकते हैं।

जनहित में जारीकर्ता :

केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए)

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय)

भारत सरकार

वेस्ट ब्लॉक-VIII, विंग-II, दिल्ली, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ... www.adoptionindia.nic.in

अनुलग्नक **IV**

मेनका संजय गांधी

दिनांक : 29.09.2017

प्रिय मुख्यमंत्री,

मैं "राज्य सरकारों द्वारा दत्तकग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरोकार" के संबंध में यह पत्र लिख रही हूँ। दत्तकग्रहण में रखे जाने के लिए स्पष्ट रूप से भारी संख्या में बच्चों के उपलब्ध होने तथा बच्चों को गोद लेने को इच्छुक माता-पिता के भी भारी संख्या में होने के बावजूद जो दत्तकग्रहण हो रहा है, उसकी संख्या नगण्य है। परिणामतः भारी संख्या बच्चे ऐसे बाल देखरेख गृहों में पड़े हुए हैं जबकि उनको गोद लेने वाले परिवार की देखरेख में होना चाहिए था।

2. मैंने ऐसे क्षेत्रों और प्रणालियों का एक सेट संकलित किया है जो राज्यों में स्थापित नहीं है, जो इस प्रकार हैं :

क. सारा के शासी निकाय का गठन : पाया गया है कि दत्तकग्रहण विनियम 2017 के विनियम 23 के अनुसार सारा का गठन नहीं किया गया है हालांकि बार-बार अनुरोध किए गए हैं और अनुस्मारक भेजे गए हैं (कृपया सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या कारा/आईएनडी/पालसी/2017/3 दिनांक 18.07.2017 देंखे)। स्थिति का विवरण अनुलग्नक **I** में उपलब्ध है।

ख. सीडब्ल्यूसी का गठन और जिम्मेदारियां : दत्तकग्रहण के लिए बच्चे को कानूनी दृष्टि से सीडब्ल्यूसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा अनेक जिलों में या तो सीडब्ल्यूसी स्थापित नहीं है अथवा निम्नतम 3 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है। इसके अलावा उन्हें अधिनियम एवं विनियमों में उल्लिखित जिम्मेदारियों का निरवहन करना होता है। अनुरोध है कि सीडब्ल्यूसी के कार्यकरण को प्रभावी बनाया जाए और उसकी निगरानी की जाए (कृपया सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या कारा-एससीआई 011/5/2017 दिनांक 19.05.2017 देंखे)। स्थिति का विवरण अनुलग्नक **I** में उपलब्ध है।

ग. दत्तकग्रहण में डीएम/डीसी की भूमिका : जमीनी स्तर पर कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन जिला स्तर पर एजेंसियों जैसे कि डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी तथा विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसियों (एसएए) पर निर्भर है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर दत्तकग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन, विनियमन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं (कृपया एमडब्ल्यूसीडी द्वारा सभी डीएम/डीसी तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या कारा/एससीआई 011/5/2017 दिनांक 19.05.2017 देंखे)। अनुरोध है कि कृपया इसके अनुपालन के लिए अपनी ओर से आवश्यक अनुदेश जारी करें।

घ. एसएए – सीसीआई लिकेंज : प्रत्येक जिले में काफी संख्या में सीसआई हैं। तथापि बार-बार अनुरोध एवं अनुस्मारक के बावजूद उनमें से बहुत कम को नजदीकी दत्तकग्रहण एजेंसी से जोड़ा गया है। जब तक सभी सीसीआई पंजीकृत होंगी और दत्तकग्रहण एजेंसी से संबद्ध होगी, उनमें रहने वाले हजारों बच्चे परिवारों के साथ स्थापित होने से वंचित हो जाएंगे। अनुरोध है कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सांविधिक बाद्धयता पूरी की जाए (कृपया अर्ध शासकी पत्र सं. 34-7/2015/आरएम/कारा दिनांक 06.01.2017) देंखे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 102/2007 दिनांक 05 मई 2017 के माध्यम से इस पर निर्णय पारित किया है। स्थिति का विवरण अनुलग्नक 1 में उपलब्ध है।

ड. पालना लगाना : हमने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बाल देखरेख संस्थाओं के बाहर तथा नर्सिंग होम में पालना लगाया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित ढंग से छोड़ा जा सके। कुछ प्रगति हुई है जिससे बच्चों के बहुमूल्य जीवन को बचाया गया है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि इस कार्यक्रम को अधिक बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। स्थिति का विवरण अनुलग्नक 1 में उपलब्ध है।

च. न्यायालयों में दत्तकग्रहण के मामलों का लंबित होना : राज्यों में अनेक परिवार/जिला न्यायालयों में दत्तकग्रहण के मामले भारी संख्या में दो माह की निर्धारित अवधि के बाद लंबित हैं। मेरा यह अनुरोध है कि राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाए और इनके समय से निस्तारन हेतु उच्च न्यायालय की जेजे समिति की मदद ली जाए। मामल-वार ब्यौरा अनुलग्नक 2 में उपलब्ध है।

3. मैं अभारी रहूँगी यदि उपर्युक्त मुद्दों पर तत्काल विचार किया जाता है। मेरा यह अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर उपर्युक्त बातों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित करें। मेरा यह मानना है कि इससे अपेक्षित प्रणाली स्थापित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू होगी।

सादर

भवदीया

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

श्री योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
लखनऊ – 226001
संलग्नक : यथोपरि :

अनुलग्नक-V

'गैर-कानूनी रूप से गोद लिया जाना' विषय पर श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव और श्री आनंदराव अडसुल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)

सं. कारा-टीसी012/2/2017-ट्रेनिंग दिनांक : 25 जनवरी, 2018

विषय : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24 अक्तूबर, 2017 को आईएचसी, नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय/महोदया,

यह पत्र राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की समीक्षा करने और इसमें हुई प्रगति को अद्यतन करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में इंडिया हैबीटैट सैंटर, लोधी रोड़, नई दिल्ली में कारा द्वारा आयोजित की गई समीक्षा बैठक के संदर्भ में है । समीक्षा बैठक में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों और सरोकारों पर चर्चा करने और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, डीसीपीयू और बाल कल्याण समितियों की भूमिका पर बल दिया गया ।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त एतदद्वारा सूचनार्थ संलग्न है ।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में जिन कार्रवाई योग्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनके संबंध में और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में कृपया की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट कारा को भेज दें ।

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2018 तक archna.cara@gmail.com अथवा deepaksharma.cara@gmail.com पर भेज दें ।

भवदीय,
ह/-
(डॉ0 के.सी. जार्ज)
संयुक्त निदेशक(कारा)

सेवा में,

(i) संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव (रा.द.सं.अ.)
(ii) संबंधित विभाग के निदेशक (रा.द.सं.अ. के सदस्य सचिव)

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24.10.2017 को आईएचसी, नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

1. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24.10.2017 को आईएचसी, नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित शामिल हुए :

i. श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
ii. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
iii. श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव (महिला एवं बाल विकास)
iv. श्री अजय तिरकी, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
v. सुश्री आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
vi. सुश्री मीरा रंजन शेरिंग, संयुक्त सचिव (वित्त), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
vii. न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) के. हेमा, केरल उच्च न्यायालय
viii. श्री दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

2. बैठक में चर्चा किए गए कार्रवाई योग्य मुद्दे और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	कार्रवाई योग्य मुद्दे तथा माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश
(क)	प्रत्येक राज्य में एक माह के भीतर शासी निकाय बनाया जाए, अन्यथा संबंधित सारा के कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
(ख)	सारा के स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं, जिनका कार्यवृत्त कारा के साथ साझा किया जाए।
(ग)	राज्य में जहां कहीं भी जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल कल्याण समितियों का गठन नहीं किया गया है, वहां प्रत्येक जिले में इनका गठन किया जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बाल देखरेख संस्थाएं 01 दिसम्बर, 2017 तक पंजीकृत हो जाएं ।
(घ)	सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों में एक्सैल शीटें होनी चाहिएं, जहां सभी बच्चों के आंकड़े और लंबित चल रहे दत्तक ग्रहण मामलों और उनकी मौजूदा स्थिति का उल्लेख हो, ताकि मामलों को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने में सारा द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप किया जा सके ।
(ड.)	बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे सभी बच्चों को केयरिंग्स से जोड़ा जाए । इसके लिए केयरिंग्स में ब्यौरे की समय पर प्रविष्ठि/अद्यतनीकरण के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएं ।
(च)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सारा को यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालनार्थ सभी अपंजीकृत अभिकरणों को 01 दिसम्बर, 2017 तक सिस्टम में पंजीकृत किया जाता है, अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक जिले का दौरा करना चाहिए । अपंजीकृत अभिकरणों को 31 दिसम्बर, 2017 तक बंद कर दिया गया है ।
छ	एसएआरए को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एसएए ठीक प्रकार से कार्य कर रहा हो और बच्चों का एमईआर करने के लिए अच्छे डॉक्टर और दत्तक-ग्रहण याचिकाएं दाखिल करने के लिए सुविज्ञ वकील पैनल में रखा गया हो । एसएए द्वारा पैनल में रखे सभी वकीलों का ब्यौरा एसएआरए की जानकारी में होना चाहिए।
ज	सभी एसएआरए द्वारा वकीलों की योग्यता और अनुभव के साथ जिला और एसएए वार विधिवत सत्यापित सूची 15 दिसम्बर,2017 तक कारा को अग्रेषित करनी चाहिए। उत्तम कार्य-निष्पादन का रिकार्ड रखने वाले वकीलों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

	अच्छा कार्य न करने वाले वकीलों को बदला जाना चाहिए।
झ	अंतर–देश दत्तक-ग्रहण में दत्तक-ग्रहण आदेश पारित करने में दो से अधिक सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दो सुनवाई के बाद भी निपटान न होने वाले और दो माह से अधिक पेंडिंग केसों को रजिस्ट्रार और एसएआरए द्वारा हस्त्क्षेप हेतु उच्च न्यायालय की जे जे समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कारा को उसकी प्रति भेजी जाए ।
	सभी एसएआरए को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई थी कि अधिकतम बच्चे प्रणाली में लाये जाते हों और बिना परिवार वाले सभी बच्चों को 31 दिसम्बर, 2017 से पहले दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाना चाहिए। जनवरी, 2018 माह के दौरान आयोजित होने वाली अगली तिमाही बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी।
ट	कारा द्वारा एसएआरए के साथ समीक्षा बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।
ठ	25 बच्चाँ, जो जयपुर में सरकार द्वारा संचालित एसएए पाये गये हैं, की माताएं मानसिक रूप से कमजोर हैं, और इन बच्चों को एक सप्ताह के भीतर प्रणाली में लाना चाहिए। दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से उनको घोषित करनेके लिए उचित प्रक्रिया तत्काल पूरी की जानी चाहिए।
ढ	उन एसएए को प्रोत्साहित किया जाना जो पीएपी की संतुष्टि, कारोबार के केस, केसों की त्वरित और समय पर प्रक्रिया करने, बाल कल्याण और परिवार के साथ फिर से जोडने के लिए किये गये प्रयास के अनुरूप बेहतर कार्य करते हैं।
ड	यह निदेश दिया गया था कि ऐसे एसएए/सीसीआई, जो पंजीक्रित नहीं हैं और अवैध कार्यकलाप कर रहे हैं, को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। साथ ही, जोस मावेली द्वारा संचालित सीसीआई, जिसके विरुद्ध कोर्ट ने निदेश जारी किये हैं और रिटायर्ड जस्टिस हेमा द्वारा पुष्टि की गई है, को तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
प	एचएसआर का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है जो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पीएपी के मूल्यांकन करने में अधिक उद्देश्य परक होगा। माता-पिता आदि की मन:स्थिति को जानने के बारे में भी पडोसी के विचार लिये जाने चाहिए।
फ	यह निर्णय किया था कि खराब मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें विनिर्धारित मेडीकल परीक्षणों के माध्यम से ठीक स्वास्थ्य स्थिति दर्ज नहीं की गई है, स्वीकार्य नहीं होगी। सभी परीक्षण किये जाने चाहिए और एमईआर के फार्मेट के अनुसार एमईआर सभी को परिचालित की जानी चाहिए।
ब	हर राज्य में जिला प्रशासन के परामर्श से नर्सिंग होम, अस्पतालों, मंदिरों, मस्जिदों में 300-400 पालना रखे जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 पालना होने चाहिए। पालना का कपडा नरम और धुलने योग्य होना चाहिए और वह पालने से जुडा होना चाहिए ताकि इसे हटाया नहीं जा सके। इसकी पिक्चर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को साझा की जानी चाहिए।
भ	सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति जे जे अधिनियम,2015 की धारा और तत्संबंधी मॉडल जे जे नियमावली के नियम 15-16 के अनुसार ही की जानी चाहिए।

म	यह निर्णय किया कि एनआईसी की टीम छतीसगढ, महाराष्ट्र के एसएआरए को नवम्बर,2017 माह के दौरान भेजें ताकि बालकों के ब्यौरे की समस्याओं और उनके पोर्टल पर अन्य रिपोर्टें एसएआएए को नजर न आने की समस्या का समाधान किया जा सके। पैंडिंग कोर्ट आदेशों की संख्या, एसएए–सीसीआई लिंकेज, सीसीआई की रिलिंकिंग आदि जैसे ब्यौरे संबंधित एसएआरए पर नजर आने चाहिए। एसएआरए छतीसगढ को अन्य एसएआरए से सभी अपेक्षाओं का संकलन करने, केयरिंग्स में उसको क्रियान्वित/एनआईसी द्वारा सुधार लाने के लिए तालमेल करना चाहिए।
त	पूर्वोत्तर राज्यों के एसएआरए को सलाह दी गई थी कि उनके राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव भेजें।
थ	केरल एसएआरए फोस्टर देख-रेख के उन 29 मामलों का ब्यौरा केरल को भेजे जिसमें पीएपी दत्तक-ग्रहण किये जाने के लिए बालकों को अनुमति देने के लिए अनुरोध कर रहा है क्योंकि बच्चों को फोस्टर माता-पिता के साथ रहते हुए 05 वर्ष से अधिक हो गये हैं ।
द	कारा का परामर्शदाओं द्वारा प्रत्येक राज्य में संपर्क होना चाहिए, ताकि राज्यों में क्या हो रहा है इस बारे में स्थिति की अद्ययतन जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक सारा को मामले के ब्यौरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कारा द्वारा सौंपे किए क्षेत्रीय परामर्शदाता के संपर्क में रहना चाहिए।

7. अध्यक्ष को धन्यवाद के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

दत्तक ग्रहण संबंधी कार्रवाइयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (सारा युक्त जिलों की संख्या के सहित)	सारा		एफएचसीज/अस्पतालों/एसएए आदि पर धारित क्रेडिल पॉइंट की संख्या	राज्य में जिलों की संख्या	डीसीपीयूज की संख्या (केयरिंग सूचना)	स्थापित सीडब्ल्यूसी	केयरिंगस की संख्या
		दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 33 के अनुसार सारा के अधीशासी निकाय की संरचना	विद्यमान कार्यक्रम स्टाफ					
1.	अंडमान और निकोबार (यूटी)	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	3	0	3	1
2.	आन्ध्रप्रदेश	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	13	13	13	13
3.	अरूणाचल प्रदेश	नहीं	0(4*)	लागू नहीं	16	0	21	
4.	असम	हां	3(4*)	शून्य	32	27	27	2
5.	बिहार	नहीं	3(4*)	0	38	38	38	2
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	नहीं	3(3*)	1	1	1	1	1
7.	छत्तीसगढ़	नहीं	3(4*)	सूचना प्रतीक्षित	27	27	27	1
8.	दादरा एवं नगर हवेली (यूटी)	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	1	0	1	0
9.	दमन और द्वीप (यूटी)	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	2	0	2	0
10.	दिल्ली	नहीं	3(3*)	1	11	11	10	10
11.	गोवा	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	3	0	2	2
12.	गुजरात	नहीं	3(4*)	16	33	31	33	10
13.	हरियाणा	नहीं	3(4*)	83	21	21	21	3
14.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	12	12	12	1
15.	जम्मू कश्मीर	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	15	0	22	0
16.	झारखंड	हां	1(4*)	सूचना प्रतीक्षित	24	24	24	3
17.	कर्नाटक	नहीं	3(4*)	28	30	30	33	29
18.	केरल	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	14	14	14	18
19.	लक्ष्दीप (यूटी)	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	1	0	1	0
20.	मध्य प्रदेश	नहीं	1(4*)	सूचना प्रतीक्षित	51	43	51	37
21.	महाराष्ट्र	नहीं	4(4*)	लागू नहीं	36	36	39	63
22.	मणिपुर	हां	3(3*)	14	9	9	9	9
23.	मेघालय	नहीं	3(3*)	71	12	11	11	6
24.	मिजोरम	हां	3(3*)	शून्य	8	8	8	7
25.	नागालैण्ड	हां	4(4*)	शून्य	11	11	11	1
26.	ठड़ीसा	नहीं	4(3*)	35	30	30	31	23
27.	पुडुचेरी (यूटी)	नहीं	2(3*)	लागू नहीं	4	2	3	4
28.	पंजाब	हां	2(4*)	4	22	22	22	9
29.	राजस्थान	नहीं	0(4*)	सूचना प्रतीक्षित	33	33	33	36
30.	सिक्किम	नहीं	1(3*)	1	4	4	3	4
31.	तमिलनाडु	हां	3(4*)	लागू नहीं	32	32	32	16
32.	तेलंगाना	नहीं	1(3*)		10	10	31	11
33.	त्रिपुरा	नहीं	3(3*)	शून्य	8	8	8	9
34.	ठत्तर प्रदेश	नहीं	3(4*)	शून्य	75	67	75	28
35.	ठत्तराखण्ड	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	13	13	13	8
36.	पश्चिम बंगाल	नहीं	4(4*)	11	20	19	22	23
	कुल				674	607	707	464

* आईसीपीएस मानकों के अनुसार कार्यक्रम सहायक स्टाफ

अनुलग्नक-V।
अति तत्काल

राकेश श्रीवास्तव
सचिव

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 20 जुलाई, 2018

अ.श. संख्या सीडब्ल्यू-।।-26/33/2018-सीडब्ल्यू-।।

प्रिय मुख्य सचिव,

मैं आपका ध्यान मीडिया की व्यथित कर देने वाली उन चंद रिपोर्टों की ओर दिलाना चाहूंगा जिनमें दान से चलने वाले मिश्नरी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थल द्वारा बच्चों को बेचे जाने की बात कही गई है।

2. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के मुताबिक सभी संस्थान जोकि देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों को आंशिक या सम्पूर्णत: रखते हैं उन्हें अधिनियम के अंतर्गत कानूनों के अनुसार खुद को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक तिमाही में इन आश्रय स्थलों और संस्थाओं का निरीक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इन संवेदनशील बच्चों को पर्याप्त देखभाल और सुरक्षा प्रदान कराई जा रही है। देश में तथा देश के बाहर किसी भी दत्तक ग्रहण के मामले में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में एकमात्र नियामक एजेंसी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) है।

3. इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 7000 से ज्यादा बाल देखभाल संस्थाएं जेजे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इनमें से केवल 2300 संस्थान हैं जो देखभाल पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों से जुड़े हुए हैं।

4. हाल ही में मीडिया रिपोर्टोंके परिप्रेक्ष्य में जेजे अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाले किन्तु नियमित तौर पर जिनकी निगरानी नहीं होती ऐसे संस्थानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाल तस्करी को रोकने वाले कानूनी प्रावधानों से परे विदेशों में अवैध दत्तक ग्रहण के मामले जेजे अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है और यह उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथा कल्पित बाल कल्याण की भावना के प्रतिकूल हैं।

5. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सुनिश्चित करें कि सभी रजिस्टर्ड संस्थाएं केयरिंगसऔर विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों से विधिवत जुड़ी हो यह कार्य एक माह के भीतर हो जाना चाहिए। शीघ्र अनुपालन के लिए इन निर्देशों को स्थानीय अखबारों में भी प्रकाशित करें और निर्दिष्ट अविध के भीतर सभी संस्थाओं से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और इनका अनुपालन न होने की स्थिति में दोषी संस्थाओं के खिलाफ यथावश्यक कार्रवाई की जाए।

6. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने राज्य में दान के पैसे से मिश्नरियों द्वारा चलाएजा रहे सभी आश्रय स्थलों को निरीक्षण के लिए निर्देश जारी करें और गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं की शिनाक्त शीघ्र करें और अधिनियम के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट तरीकों से इन संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए।

7. एक महीने के भीतर सभी सीसीआईज को नजदीकी एसएए से जोड़ा जाए जिससे इन सीसीआईज में रहने वाले बच्चों,यदि वे दत्तक ग्रहण के लिए कोई फीस वसूलते हैं तो,के कानूनी दत्तक ग्रहण के अवसर बढ़ेंगे।

8. इसके अलावा अवैध दत्तक ग्रहण मामलोंपर निगनारी बनाए रखने के लिए आपसे अनुरोध है इन मातृत्व गृहोंपर नजर रखें और जहां अवैध दत्तक ग्रहण या बाल तस्करी की संभावना हो वहां नजर बनाए रखें। जनता में जागरूकता बढ़ाने से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

9. मैं आभारी रहूंगा यदि आप 31 जुलाई, 2018 तक उपर्युक्त मामलों पर आपके द्वारा की गई कार्रवाइयों की एक प्रास्थिति रिपोर्ट भेजें।

आभार

आपका

(राकेश श्रीवास्तव)

मुख्य सचिव
सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

अनुलग्नक-VII

मिशनरी ऑफ चैरिटी

54ए, एआईसी बोन रोड
कोलकाता-700016
31 अगस्त, 2015

श्री जे पति
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक-एस, विंग-2,द्वितीय तल
आरके पुरम, नई दिल्ली-110066

विषय : मिशनरी ऑफ चैरिटी इंडिया के दत्तक ग्रहण केंद्र का निरीक्षण

प्रिय श्री पति,

वरिष्ठ जनों से विधिवत विचार-विमर्श और समीक्षा के बाद और पूरे विश्व में धर्मार्थ कार्यों में संलग्न मिश्नरियों के समुदायों की सहमति से हम दत्तक ग्रहण के कार्य में लगे हुए हैं। अपनी परिषद की ओर से मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमने अपने सभी दत्तक ग्रहण केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है।

यह फैसला 'बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी अधिशासी दिशा-निर्देश, 2015' के अनुपालन में हमारी अक्षमता के कारण लिया गया है। हम समझते हैं कि विभिन्न लोकेशनों पर स्थित केंद्रों में यही कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मिश्नरियों के धर्मार्थ दत्तक ग्रहण केंद्र की लोकेशन इस प्रकार है:-

इंदौर, मध्य प्रदेश	राउरकेला, उड़ीसा
चंडीगढ़	रांची, झारखंड
दिल्ली	पटना सिटी, बिहार
पंजिम, गोवा	कानपुर, उत्तर प्रदेश
गोवाहटी, असम	अलवर, राजस्थान
अरनाकुलम, केलर	अहमदाबाद, गुजरात
कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मुम्बई, महाराष्ट्र
दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	अमरावती, महाराष्ट्र
भुवनेश्वर, उड़ीसा	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान

प्रत्येक लोकेशन को कारा सहित समुचित सरकारी अधिसूचना दी जा चुकीहै। ये सभी 18 केंद्र हैं।

आपके द्वारा दिए गए सहयोग और दिशा-निर्देश के लिए हम आपके आभारी हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद रखेंगे।

आप पर ईश्वर की कृपा हो

श्री एम प्रेमा एम.सी.
सुपीरियर जनरल

प्रतिः
श्री वीरेंद्र मिश्रा
सचिव, कारा